न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–पीयुष सामारिया
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 02/2006 आवंटन नियम 14(4)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) महवा जिला दौसा
..प्रार्थी

बनाम

टूण्डाराम पुत्र घम्मन जाति नाई निवासी राजपुर तहसील महवा जिला दौसा राजस्थान (फोत)

1.1 यशोदा पत्नि टूण्डाराम
1.2 दिनेश पुत्र टूण्डाराम
1.3 गणेश पुत्र टूण्डाराम
1.4 महेश पुत्र टूण्डाराम
1.5 ओमी पुत्र टूण्डाराम
1.6 लाला पुत्र टूण्डाराम
1.7 गुडडी पुत्री टूण्डाराम
1.8 ममता पुत्री टूण्डाराम

समस्त जाति नाई निवासी राजपुर तहसील महवा जिला दौसा राजस्थान
..अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम–1970

उपस्थित–1. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता, पैरोकार सरकार
2. श्री दिनेश शांडिल्य, अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से

दिनांक: 22.12.2021

:: निर्णय ::

संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 09.06.2000 को ग्राम खेडली नारायण सिंह तहसील महवा के आ0ख0नं0 413/5 रकबा 0.50 है0 भूमि का आवंटन अप्रार्थी को किया गया। अप्रार्थी द्वारा आवण्टन की शर्तो की पालना नहीं करने के कारण तहसीलदार, महवा द्वारा यह प्रार्थना पत्र अ0धा0 14 (4) भू–आवण्टन नियम–1970 के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रा0 पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि अप्रार्थी टूण्डाराम पुत्र घम्मन जाति नाई (फोत) को दिनांक 09.06.2000 को ग्राम खेडली नारायण सिंह तहसील महवा के आ0ख0नं0 413/5 रकबा 0.50 है0 भूमि आवण्टित की गई थी। आवंटी द्वारा आवंटन के पश्चात आज तक मौके पर कब्जा काश्त नहीं किया है। साथ ही आवंटित भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु भी कोई प्रार्थना पत्र प्रार्थी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। आवंटी द्वारा आवण्टित भूमि की आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई। मौके पर भूमि खाली (पडत) पडी हुई हैं। भूमि आज तक भी गैर खातेदारी दर्ज है। अतः आवंटन की शर्तो की पालना नहीं करने के कारण आवंटन निरस्त योग्य है। अतः आवंटन निरस्त किया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को बार–2 अलग–2 समय पर आवाज दिलवाई गई। अधिवक्ता अप्रार्थीगण अथवा अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं आये। अप्रार्थी उपस्थित नहीं है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित समझते हुए राजकीय अधिवक्ता की एकतरफा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अप्रार्थी द्वारा आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उसकी जॉच पटवारी हल्का से करवाई गई। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थीगण को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 09.06.2000 को ग्राम खेडली नारायण सिंह तहसील महवा के आ0ख0नं0 413/5 रकबा 0.50 है0 भूमि का आवंटन किया गया। किन्तु आवंटी द्वारा आवंटित की गई पर आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई। क्योंकि मौके पर आज भी भूमि खाली (पडत) पडी हुई है तथा अप्रार्थी के नाम गैर खातेदारी दर्ज है। जबकि आवंटन हुए लगभग 17 वर्ष बाद भी गैरखातेदारी दर्ज है। इससे स्पष्ट होता कि आवण्टित भूमि का अप्रार्थीगण द्वारा कोई उपयोग नहीं किया जा रहा और आवण्टित भूमि की काश्त में कोई रुचि नहीं ली जा रही है। जिससे आवण्टित भूमि को प्रयोजन ही समाप्त हो जाता है। अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में आवण्टन खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार, महवा द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी के पक्ष में किया गया प्रश्नगत आवंटन दिनांक 09.06.2000 खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित प्रेषित की जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक: 22 दिसंबर 2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा